Unit I

प्रस्तावना

प्रत्येक संविधान की एक प्रस्तावना या भूमिका होती है, जो उस संविधान के उद्देश्य को समझने मे बहुत सहायक सिद्ध होती है। प्रस्तावना संविधान के आधारो को व्यक्त करती है। यदि किसी संविधान की धारा का अर्थ अस्पष्ट हो तो उस संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करके उसका अर्थ स्पष्ट किया जा सकता है। जिस उद्देश्य एवं प्रयोजन से कोई संविधान बनाया जाता है। इसका उल्लेख उस संविधान की प्रस्तावना मे कर दिया जाता है।

* प्रस्तावना के उद्देश्य -

(i) यह संविधान की उत्पत्ति को अभिव्यक्त करती है। इसके द्वारा संविधान के स्त्रोत का ज्ञान होता है।

(ii) इसके द्वारा संविधान के उद्देश्यो का ज्ञान होता है।

(iii) यह संविधान के आधार को व्यक्त करती है।

भारत के संविधान की प्रस्तावना

भारत के संविधान मे वर्णित प्रस्तावना इस प्रकार है-

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न, समाजवादी, पन्थनिरपेक्ष, लोकतन्त्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उन सब मे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता व अखण्डता सुनिश्चित करने वाली बन्धुता बढाने के लिए, दृढसंकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा मे आज दिनांक 26 नवम्बर 1949 ई० को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते है।"

* प्रस्तावना का महत्व -

(1) प्रस्तावना शासन प्रणाली को स्पष्ट करती है।

(2) प्रस्तावना शासन के सिद्धान्तो को स्पष्ट करती है।

(3) राजनीतिक तथा नैतिक दृष्टि से प्रस्तावना शासको के दायित्वो का बोध कराती है।

(4) प्रस्तावना संविधान संचालन मे प्रकाश-स्तम्भ का कार्य करती है।

*Note- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक मात्र एक बार संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 'समाजवादी' 'पन्थनिरपेक्ष' और अखण्डता' शब्द शामिल किये गए।

भारत के संविधान के स्त्रोत

संविधान सभा ने विश्व के प्रमुख व सफल संविधानो का गहन अध्ययन किया और उनसे भारतीय परिस्थितियो के अनुकूल लाभदायक तत्वों को बिना हिचक स्वीकार किया। परिणामस्वरूप भारत का संविधान विश्व के विभिन्न संविधानो का सम्मिश्रण हो गया है।

(1) भारत सरकार अधिनियम-1935
- भारतीय संविधान का आधार
- राज्यपाल का कार्यालय
- न्यायपालिका / लोकसेवा आयोग
- प्रशासनिक विवरण

(2) ब्रिटिश संविधान -
- एकल नागरिकता
- CAG का कार्यालय
- द्विसदनीय / संसदीय प्रणाली

(3) अमेरिकी संविधान - मौलिक अधिकार
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- राष्ट्रपति पर महाभियोग

(4) आयरलैण्ड संविधान - राज्य के नीति-निर्देशक तत्व
- राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन

(5) आस्ट्रेलिया संविधान - समवर्ती सूची
- संसद की संयुक्त बैठक

(6) कनाडा संविधान - केन्द्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति
- केन्द्र व संघीय व्यवस्था

(7) जर्मनी (वाइमर संविधान) - आपातकाल

(8) रूस - मूल कर्तव्य

(9) जापान संविधान - विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया

(10) दक्षिण अफ्रीका - संविधान संशोधन प्रक्रिया
- राज्यसभा सदस्यों का निर्वाचन

(11) फ्रांस - गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता

समानता का अधिकार

प्रकृति ने सभी को समान बनाया है, नैतिक आधार पर सभी समान हैं, यही प्राकृतिक समानता है। कानून की दृष्टि में प्रत्येक नागरिक समान होना चाहिए अर्थात न्यायालय को बड़े व छोटे, धनी व निर्धन आदि का भेदभाव नहीं करना चाहिए।

* समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) भारतीय संविधान में सभी नागरिकों को मौलिक अधिकार के रूप में समानता का अधिकार दिया है।—

* कानून के समक्ष समानता- संविधान के अनुच्छेद-14 के अनुसार भारतीय राज्यक्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता अथवा कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। सभी कानून के समक्ष समान होंगे।

* धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के भेदभाव का अन्त- अनुच्छेद-15 के अनुसार राज्य किसी भी नागरिक के विरुद्ध धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा।

* सरकारी सेवाओं के विषय में अवसर की समानता- अनुच्छेद के अनुसार केवल धर्म, जाति, वर्ण आदि के आधार पर राज्य के अन्तर्गत किसी रोजगार, नियुक्ति और किसी उच्च पद को प्राप्त करने के सम्बन्ध में किसी नागरिक के साथ भेदभावपूर्ण नीति का प्रयोग नहीं किया जाएगा।

* अस्पृश्यता का अन्त- अनुच्छेद-17 के अनुसार किसी नागरिक को अस्पृश्यता के आधार पर किसी अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

* उपाधियों का अन्त - अनुच्छेद-18 के अनुसार- उपाधियाँ समानता के मार्ग में बाधक होती हैं तथा समाज में विषमता उत्पन्न करती हैं। इसलिए सेना तथा शिक्षा सम्बन्धी उपाधियों के अतिरिक्त अन्य सभी उपाधियों को समाप्त किया गया है।

स्वतन्त्रता का अधिकार

स्वतन्त्रता जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। स्वतन्त्रता मानव की सर्वप्रिय वस्तु है। व्यक्ति स्वभाव से स्वतन्त्रता चाहता है। क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतन्त्रता सबसे आवश्यक तत्व है।

स्वतन्त्रता का अर्थ 'बन्धनों का न होना' होता है। अतः स्वतन्त्रता का शाब्दिक अर्थ है 'बन्धनों से मुक्ति' अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी बन्धन के अपनी इच्छानुसार सभी कार्यों को करने की सुविधा प्राप्त होना ही 'स्वतन्त्रता' है।

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतन्त्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है।

संविधान के अन्तर्गत निम्नलिखित स्वतन्त्रताएँ सम्मिलित हैं-

(1) अनुच्छेद 19 - (1) भाषण तथा विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता (प्रेस की स्वतन्त्रता)

(2) शान्तिपूर्ण तथा शस्त्रविहीन होकर सभा करने की स्वतन्त्रता

(3) संस्था तथा समुदाय बनाने की स्वतन्त्रता

(4) आवागमन की स्वतन्त्रता (सम्पूर्ण देश भ्रमण करने की स्वतन्त्रता)

(5) निवास की स्वतन्त्रता

(6) आजीविका उपार्जन करने की स्वतन्त्रता

(2) अनुच्छेद 20 - अपराधों के विषय में स्पष्टीकरण देने की स्वतन्त्रता (किसी नागरिक को बिना किसी अपराध के दण्डित नहीं किया जा सकता तथा एक अपराध के लिए केवल एक ही बार दण्डित किया जा सकता है।)

(3) अनुच्छेद 21 - व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा जीवन की सुरक्षा (निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार)

* आपातकाल के समय में भी जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के अधिकार को समाप्त अथवा सीमित नहीं किया जा सकता है।

(4) अनुच्छेद 22 - बन्दीकरण और गिरफ्तारी में संरक्षण (व्यक्ति को बन्दीकरण के 24 घण्टों के अन्दर किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अवश्य प्रस्तुत किया जाएगा।)

साइबर अपराध

आज का युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है। मानवीय कार्यों के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने अपनी पहुँच बना ली है। भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में सूचना एवं संचार

प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे उल्लेखनीय प्रगति हुई है। भारत के आर्थिक विकास मे सूचना संचार तकनीक और इलेक्ट्रानिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत विश्व मे तीव्र गति से बढ रहे इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर बाजारो मे से एक है। यह क्षेत्र सरकार के लिए लगातार प्रमुख क्षेत्र रहा है।

साइबर अपराध का अर्थ

एक ओर सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र मे हुई प्रगति ने विश्व को जोडने मे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है। तो दूसरी ओर इससे अपराध के क्षेत्र मे नवीन प्रकार के अपराधो का जन्म भी हुआ है। साइबर क्राइम का सम्बन्ध सूचना प्रौद्योगिकी के महत्वपूर्ण उपकरण - कम्प्यूटर द्वारा होने वाली सूचनाओ के आदान- प्रदान एवं व्यापारिक लेन-देन से है। वर्तमान मे इण्टरनेट, संचार के प्रमुख माध्यम के रूप मे उभरा है। साइबर अपराध मुख्यत: इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमो द्वारा सूचनाओ के आदान-प्रदान विशेष रूप से ई-मेल, बैकिंग एव ई-व्यापार के दुरूपयोग से सम्बन्धित है। यह अपराध केवल भारत मे ही नही अपितु सभी देशो मे चिन्ता का विषय है तथा सभी देश इस पर नियन्त्रण हेतु प्रयासरत है।

आज व्यापारी एव उपभोक्ता परम्परागत फाइलो के स्थान पर कम्प्यूटरो मे सभी प्रकार की सूचनाएँ सुरक्षित रख रहे है कागज एवं फाइल सरलता से खराब हो जाते है जबकि कम्प्यूटर मे रखी गई सूचना वर्षो तक पूर्णतया सुरक्षित रहती है। साइबर अपराध का सम्बन्ध इस सूचना के किसी अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा दुरूपयोग है।

साइबर अपराध के प्रमुख प्रकार -

(1) कम्प्यूटर आधारित प्रलेखो के साथ हेर-फेर

(2) कम्प्यूटर सिस्टम को अपने नियन्त्रण मे लेना

(3) अश्लील सामग्री का प्रसारण

(4) स्टॉकिंग, डाटा डिडलिंग एव फिशरिंग

भारत मे साइबर अपराधो की रोकथाम हेतु किए गये उपाय -

भारत सरकार ने साइबर अपराधो की रोकथाम हेतु "सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 पारित किया। यह अधिनियम इलेक्ट्रानिक व्यापार के लिए आवश्यक कानूनी एव प्रशासनिक ढाँचा प्रदान करता है। आई० टी० प्रणालियो और नेटवर्को ~~के~~ जटिलता बढने से प्रदाताओ

और उपभोक्ता दोनो के लिए सुरक्षा चुनौतिया उभर रही है। इनका सामना निम्नलिखित रूप से किया जा रहा है-

(1) सुरक्षा अनुसन्धान एवं विकास

(2) सुरक्षा नीति, शिकायत और आश्वासन

(3) सुरक्षा धारणाएँ - पूर्व चेतावनी और परिणाम

(4) सुरक्षा प्रशिक्षण

कर्म का अधिकार सिद्धान्त

गीता भारतीय दर्शन की आधारशिला है। हिन्दू शास्त्रों में गीता का सर्वप्रथम स्थान है। गीता कर्मयोग का प्रधान ग्रन्थ कहा गया है। कर्मयोग दो शब्दों के मेल से बना है कर्म और योग। कर्म का अर्थ कर्तव्य और योग का अर्थ आत्मा का परमात्मा से मिलन है अर्थात मनुष्य को ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उसका मिलन ईश्वर से हो जाए। गीता स्वार्थ से रहित कर्मों को करने के लिए प्रेरित करती है। कर्म के लिए गीता में धर्म का पालन आवश्यक माना गया है।

"कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।
मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि"

अर्थात तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु न हो तथा तेरी अकर्मण्यता में आसक्ति भी न हो। कर्म करने का अधिकार ही कर्म का अधिकार सिद्धान्त है। अतः निष्काम कर्म से ही संसार की गति बनी रहेगी और विश्व में सुख, शान्ति और समृद्धि की स्थापना हो सकती है।

कर्म अधिकार का परिणाम

कर्मवाद के दो अंग हैं— कर्म क्रिया रूप में और कर्मवाद सिद्धान्त रूप में। ईश्वरवाद को नास्तिक नहीं मानते, कुछ आस्तिक भी नहीं मानते, परन्तु कर्म के अधिकार को सभी मानते हैं। कर्म अधिकार के अनुसार मनुष्य जो कर्म अधिकार करता है, उसका फल भी वही भोगता है।

जहाँ कर्तव्य वहाँ अधिकार

निष्काम कर्म के दो अंग हैं— ममता का त्याग और तृष्णा का त्याग। निष्काम का अर्थ कुछ लोग काम्य कर्मों का त्याग समझते हैं; जैसे— स्त्री, पुत्र, धन आदि के लिए यज्ञ, दान, तप आदि काम्य कर्मों का त्याग।
आसक्ति ही बन्धन में हेतु है जिसमें आसक्ति का अभाव है वह पुरुष कर्म करता हुआ भी जल में कमल के पत्ते के समान से लिप्त नहीं होता—

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः।
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥

अधिकार

मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए जिन बाह्य परिस्थितियों अथवा सुविधाओं की आवश्यकता होती है, उन्हें अधिकार कहा जाता है। स्वभावतः ही अधिकार उन कार्यों की स्वतन्त्रता का बोध कराता है जो व्यक्ति तथा समाज दोनों के लिए उपयोगी होते हैं।

परिभाषाएँ

लास्की के अनुसार— "अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियाँ हैं जिसके बिना साधारणतया कोई भी व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकता है।"

वाइल्ड के अनुसार— "कुछ विशेष कार्यों को करने की स्वतन्त्रता की विवेकपूर्ण माँग को अधिकार कहा जाता है।"

अधिकारों का वर्गीकरण

(1) प्राकृतिक अधिकार :— वास्तव में प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जो किसी भी समाज में व्यक्तियों के पूर्ण तथा सर्वोच्च विकास के लिए आवश्यक हैं। ग्रीन के अनुसार, "प्राकृतिक अधिकार वे अधिकार हैं जिनके बिना मनुष्य का पूर्ण विकास सम्भव नहीं है।"

(2) नैतिक अधिकार :— वे अधिकार, जो कानून पर आधारित न होकर नैतिकता पर निर्भर रहते हैं, नैतिक अधिकार कहलाते हैं।

(3) कानूनी अधिकार :— वे अधिकार, जिन्हें राज्य कानून द्वारा नागरिकों को प्रदान करता है, कानूनी अधिकार कहलाते हैं।

(4) मौलिक अधिकार :— मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए मौलिक तथा अपरिहार्य होते हैं। इनके अभाव में व्यक्ति का पूर्ण विकास सम्भव नहीं है। ये अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए जाते हैं।

नागरिकों के कर्तव्य

नैतिक कर्तव्य

* अपने प्रति कर्तव्य
* परिवार के प्रति कर्तव्य
* ग्राम, नगर तथा राष्ट्र के प्रति कर्तव्य
* समाज के प्रति कर्तव्य
* मानवता के प्रति कर्तव्य

वैधानिक कर्तव्य

* राज्य के कानूनों का पालन
* राज्य के प्रति निष्ठा व भक्ति
* करों का भुगतान
* अन्य कर्तव्य

(1) मतदान का समुचित प्रयोग
(2) शासन कार्यों में सहयोग

शिक्षा का अधिकार अधिनियम : शिक्षा का अधिकार इतिहास और उत्पत्ति

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (Right to Education RTE) अधिनियम, 2009 भारतीय बच्चों के लिए ऐतिहासिक या युगान्तरकारी घटना है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत 6 से 14 वर्ष के मध्य की आयु के सभी बच्चों को उनके समीपवर्ती विद्यालय मे समुचित आयु की कक्षा मे आठवर्षीय प्रारम्भिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अन्तर्गत शिक्षा राज्य के नीति-निदेशक सिद्धान्त का एक भाग है जो संविधान के चौथे अध्याय का अंश है किन्तु चौथे अध्याय मे सिद्धान्त कानून द्वारा बाध्यकारी नही है।

1 अप्रैल, 2010 को जब अधिनियम लागू हुआ तब शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार बना कर भारत विश्व के 135 देशो के समूह मे सम्मिलित हो गया। प्रस्तुत अधिनियम का मूल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है। विधेयक का प्रथम प्रारूप वर्ष 2005 मे तैयार हुआ। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education – CABE), जिसने विधेयक का प्रारूप तैयार किया। आरम्भ मे भारतीय ने अशक्त बच्चों के लिए निजी विद्यालयों मे 50 प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित किया

यह विधेयक मन्त्रिमण्डल के द्वारा 2 जुलाई, 2009 को स्वीकृत हुआ। राज्यसभा ने विधेयक को 20 जुलाई, 2009 को और लोक सभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी मिली और बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कानून के रूप मे 3 सितम्बर 2009 को अधिसूचित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को कानून पूरे भारत मे लागू हुआ।

सरकार के अनुमानों के अनुसार सुसंगत आयु वर्ग के लगभग 220 मिलियन बच्चे हैं जिनमें से 4-6 प्रतिशत या लगभग 9.2 मिलियन विद्यालय से बाहर हैं।

45,000 करोड़ रुपये सर्वशिक्षा अभियान के लिए आवंटित किए गए हैं।

हितधारकों की भूमिका

यह अधिनियम स्पष्ट रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों, अध्यापकों और विद्यालय प्रबन्धन समिति के कार्यों और भूमिका का सीमांकन करता है। इसमें इनकी भूमिका निम्नलिखित है—

केन्द्र सरकार की भूमिका

केन्द्र सरकार प्रारम्भिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति (NAC) का गठन करेगी। समिति कर्तव्य विधेयक के कार्यान्वयन में सरकार को अग्रलिखित विषयों में सलाह देना था।

* अध्यापक की अर्हता और प्रशिक्षण के मानक को लागू एवं विकसित करना।
* विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची में संशोधन करना
* प्रारम्भिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिए, केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा [Central Teacher Eligibility Test (CTET) का आयोजन करना

राज्य सरकार की भूमिका

* सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराना
* किसी भी स्तर पर किसी बच्चे के विरुद्ध विभेदीकरण को रोकना
* शैक्षणिक अधिकारी की नियुक्ति करना

स्थानीय प्राधिकारियों की भूमिका

* अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले चौदह वर्ष के सभी बच्चों के अभिलेख को व्यवस्थित करना
* प्रवासी बच्चों सहित सभी बच्चों के नामांकन को सुनिश्चित करना
* किसी भी बच्चे के विरुद्ध भेदभाव न किए जाने को सुनिश्चित करना
* शैक्षणिक कलैण्डर का निर्धारण करना
* अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालयों के कार्यक्रमों का संचालन करना

अध्यापकों की भूमिका

* विद्यालय में नियमितता एवं समयनिष्ठा को बनाए रखना
* माता-पिता के साथ बैठक का आयोजन करना और उन्हें बच्चे से सम्बन्धित उपस्थिति में नियमितता, अधिगम योग्यता, प्रगति और अन्य विषयों के प्रति सूचित करना।

विद्यालय प्रबन्धन समिति की भूमिका

* विद्यालय के कार्यों का संचालन
* विद्यालय के विकास की योजना को तैयार करना एवं उसकी अनुशंसा
* सरकारी अनुदान के उपयोग का प्रबोधन
* निर्धारित किए गए अन्य कार्यक्रमों को पूरा करना

नागरिक चार्टर

नागरिक चार्टर की मूल अवधारणा, उद्भव और सिद्धान्त

सम्पूर्ण विश्व मे यह सर्वस्वीकृत तथ्य है कि आर्थिक और सामाजिक दोनों के स्थायी विकास के लिए सुशासन अनिवार्य है। सुशासन मे तीन अनिवार्य पहलुओं - पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रशासन की प्रतिक्रियाशीलता परबल दिया गया है। इस कार्यक्रम को वर्ष 1998 मे टोनी ब्लेयर की लेबर सरकार ने सर्विस फर्स्ट नाम से पुनः प्रारम्भ किया।

नागरिक चार्टर आन्दोलन मे मूल रूप से छह सिद्धान्त तैयार किए गए थे —

(1) गुणवत्ता - सेवा की गुणवत्ता मे सुधार करना
(2) विकल्प - जहाँ कहीं सम्भव हो
(3) मानक - बताएँ कि क्या प्रत्याशा है तथा किस प्रकार प्रतिक्रिया करे, यदि मानक पूरे नहीं हो
(4) मूल्य - करदाताओं के धन के सन्दर्भ मे
(5) जवाबदेही - वैयक्तिक और संगठन
(6) पारदर्शिता - नियमावली / प्रक्रियाएँ / योजनाएँ / शिकायतें

अन्य — सेवा का मानक निर्धारित करना, सूचना देना, परामर्श करना तथा सहभागी बनाना, पहुँच को प्रोत्साहित करना व विकल्प को बढ़ावा देना, सभी के साथ निष्पक्षता का व्यवहार, अवसर था होने पर प्रणाली को व्यवस्थित करना, संसाधनों का कुशलता पूर्वक प्रयोग, नवाचार और सुधार, अन्य प्रदाताओं के साथ कार्य करना

अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य

यू.के की नागरिक चार्टर की पहल ने इस सम्बन्ध मे विश्व मे व्यापक रुचि का विकास किया और अनेक देशो ने समान कार्यक्रम जैसे कि आस्ट्रेलिया (सेवा चार्टर 1997), बेल्जियम (लोक सेवा प्रयोक्ता चार्टर 1992) कनाडा (सेवा मानक पहल, 1995), फ्रांस (सेवा चार्टर, 1992) भारत (नागरिक चार्टर, 1997), जमैका (नागरिक चार्टर 1994), मलेशिया (ग्राहक चार्टर 1993), पुर्तगाल (द क्वालिटी चार्टर इन पब्लिक सार्विसेज, 1993) और स्पेन (द क्वालिटी ऑबजर्वेटरी, 1992), (ओईसीडी 1996) लागू किए।

प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में 24 मई, 1997 को नई दिल्ली में आयोजित विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमन्त्रियों के सम्मेलन में केन्द्र और राज्य स्तर पर "प्रभावी और प्रतिक्रियाशील सरकार हेतु कार्य योजना" अपनाई गई। इस सम्मेलन का एक प्रमुख निर्णय यह था कि केन्द्र और राज्य सरकारें बहुत अधिक जन सम्पर्क वाले क्षेत्रों (रेलवे, दूरसंचार, डाक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली) से आरम्भ करते हुए नागरिक चार्टर तैयार करेंगे।

चार्टर में निम्नलिखित अवयव समाहित करने की प्रत्याशा की जाती है- (1) विजन व मिशन वक्तव्य (2) संगठन द्वारा किए गए कारोबार के ब्यौरे (4) प्रत्येक ग्राहक समूह को उपलब्ध कराई गई सेवाओं के ब्यौरे (5) शिकायत निवारण तन्त्र तथा उस तक पहुँचने के ब्यौरे (6) ग्राहकों से प्रत्याशाएँ

नागरिक चार्टरों की व्यापक वेबसाइट

भारत सरकार में नागरिक चार्टर की एक व्यापक वेबसाइट तैयार की गई तथा यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग 31 मार्च, 2002 को लॉन्च की गई थी। इसमें केन्द्र सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों, विभागों, संगठनों द्वारा जारी नागरिक चार्टर शामिल है। वेबसाइट उपयोगी सूचना आँकड़े और लिंक उपलब्ध करवाती है।

नागरिक चार्टर का मूल्यांकन

* चार्टर - निरूपण के प्रत्येक स्तर पर नागरिकों व स्टाफ के परामर्श किया जाना आवश्यक
* उपभोक्ता - शिकायतों और उनके निवारण के आँकड़े तैयार करने की आवश्यकता
* प्रिंट, मीडिया, पोस्टर, बैनर, हैण्डबिल, ब्रोशर, स्थानीय समाचार-पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से चार्टर का व्यापक प्रचार किए जाने की आवश्यकता
* इस क्षेत्र में अच्छे प्रयोग को दोहराना

Unit-III

लैंगिक संवेदनशीलता

लैंगिक विषमता का अर्थ

लिंग एक जैविक तथ्य है। जैविक तथ्य का अर्थ है कि जन्म के समय शिशु लड़का हो सकता है अथवा लड़की। जन्म के समय शिशु के लिंग को लेकर यदि समाज किसी प्रकार का भेदभाव करता है, तो उसे हम लैंगिक विषमता कहते हैं। सभी समाजों में जन्म के समय ही लिंग के साथ भेदभाव की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती है क्योंकि अधिकांश समाज पितृसत्तात्मक है इसलिए उनमें लड़के को लड़की से ऊँचा स्थान दिया जाता है। इसी के परिणाम द्वारा लड़के के जन्म पर अधिकांश लोग खुशियाँ मनाते है तथा दावतें देते है, जबकि लड़की के जन्म पर ऐसा बहुत कम किया जाता है। पितृसत्तात्मक समाजों में लड़के को ऊँचा माना जाता है, तो मातृसत्तात्मक परिवारों में लड़की को लड़के से ऊँचा स्थान दिया जाता है।

लैंगिक विषमता के सामाजिक पहलू

* लिंग भेदभाव
* यौन शोषण
* अशिक्षा
* अज्ञानता एवं अन्धविश्वास
* कुपोषण
* दहेज जैसी समस्याओं का जन्म
* वैधव्य की समस्या
* विवाह विच्छेद
* स्त्रियों के प्रति हिंसा की समस्या

लैंगिक संवेदनशीलता के आर्थिक पहलू

* कृषि क्षेत्र मे, जहाँ कि 80 प्रतिशत स्त्रियाँ काम कर रही है, स्त्री श्रमिक को पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है।
* वृत्ति समूहों की दृष्टि से महिलाएँ सर्वाधिक शिक्षण मे है, चिकित्सा और नर्सिंग के क्षेत्र में भी महिलाएँ प्रवेश कर चुकी है।

लैंगिक संवेदनशीलता के राजनीतिक पहलू

विविधता में एकता

किसी संस्कृति की एकता से हमारा तात्पर्य होता है उस संस्कृति के मूल्यों, विश्वासों, आध्यात्मिक विचारों, परम्पराओं, आचार - विचार एवं व्यवहार आदि के सम्बन्ध में विचार करना। मौलिक एकता का अर्थ है किसी भी देश के वंशों, वर्णों, जातियों, धर्मों, भाषाओं, रीति रिवाजों तथा समन्वय की स्थापना करना। एकता एक सामाजिक - मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें 'एक होने की भावना' (हम एक हैं) निहित होती है। इससे तात्पर्य वहाँ पाए जाने वाले अनेक प्रकार के सामाजिक समूहों एवं समुदायों से है जो भाषा, जाति, प्रजाति, धर्म, पन्थ आदि द्वारा परिभाषित होते हैं।

भारतीय संस्कृति में विविधता अथवा बहुलता

* भौगोलिक विविधता :— भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह सम्पूर्ण भू - भाग चार भागों में विभाजित है - हिमालय प्रदेश, सिन्धु और गंगा के मैदान, रेगिस्तानी क्षेत्र तथा दक्षिणी विस्तृत प्रायद्वीप।
* प्रजातीय विविधता :— बलूचिस्तान से लेकर असम और म्यानमार (बर्मा) तक, पश्चिमी तट पर गुजरात से लेकर कुर्ग की पहाड़ियों तक तथा हिमालय पर्वत से लेकर कन्याकुमारी विविध प्रजातियों के लोग रहते हैं।
* जनजातीय विविधता :— भारत में ओरांव, गोंड, मुण्डा, बोरो, थारू, कूकी आदि विभिन्न जनजातियाँ देखने को मिलती हैं।
* भाषागत विविधता :— सन् 1971 की जनगणना में 1,652 भाषाएँ रिपोर्ट की गई जो मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं।
* धार्मिक विविधता :— बौद्ध धर्म और जैन धर्म के लोग भी भारत में कुछ कम नहीं हैं।
* राजनीतिक विविधता :— प्रशासन की सुविधा के लिए भारत को पाँच प्रमुख भागों में विभक्त कर दिया गया है। ये पाँच भाग हैं - केन्द्र, प्रान्त, जिला, ब्लॉक और नगर अथवा गाँव।

भारतीय संस्कृति में एकता

* सांस्कृतिक एकता
* भौगोलिक एकता
* भाषागत एकता
* जातिगत एकता
* धार्मिक एकता
* राजनीतिक एकता
* सामाजिक - आर्थिक एकता
* राष्ट्रीय एकता

राष्ट्रीयता का अर्थ एवं परिभाषाएँ

"राष्ट्रीयता" शब्द अंग्रेजी भाषा के नैशनालिटी (Nationality) शब्द का हिन्दी अनुवाद है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के नेशियो (Natio) शब्द से हुई है। इस शब्द से जन्म और जाति का बोध होता है। राष्ट्रीयता एक सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक भावना है, जो लोगों को एकता के सूत्र में बाँधती है। इसी भावना के कारण लोग राष्ट्र से प्रेम करते है।

जे० एच० हेज के अनुसार — "राष्ट्रीयता हृदयों की वह एकता है, जो एक बार बनने के बाद कभी खण्डित नहीं होती है।"

राष्ट्रीयता के प्रमुख निर्माणक तत्व

(1) भौगोलिक एकता :— भौगोलिक एकता राष्ट्रीय एकता की प्रेरणा स्रोत है। जब लोग समान भौगोलिक परिस्थितियों में रहते है तो उनकी आवश्यकताएँ एवं समस्याएँ भी समान होती है।

(2) भाषा का एकता :— राष्ट्रीयता के विकास मे भाषा की एकता भी महत्व रखती है।

(3) संस्कृति की एकता :— सांस्कृतिक एकता राष्ट्रीयता के मूल्यवान तत्वो मे से एक है।

(4) समान ऐतिहासिक परम्पराएँ :— ऐतिहासिक घटनाओं एवं स्मृतियों का भी राष्ट्रीयता के विकास मे बहुत महत्व होता है।

(5) धार्मिक एकता :— धार्मिक एकता भी राष्ट्रीयता के निर्माण तथा विकास में वृद्धि करती है।

(6) राजनीतिक एकता :— समान राजनीतिक व्यवस्था के अन्तर्गत रहने वाले लोग भी एकता का अनुभव करते हैं।

(7) जातीय एकता :— जातीय एकता भी राष्ट्रीयता के विकास मे सहायक होती है।

(8) सामान्य आर्थिक हित :— आधुनिककाल में राष्ट्रीयता के निर्माण मे आर्थिक तत्व सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व माना जाता है।

(9) अन्य तत्व :— समान सिद्धान्तों मे आस्था, सामान्य आपदाएँ युद्ध, लोकमत एवं सामूहिक एकता की चेतना भी राष्ट्रीयता के विकास मे सहायक सिद्ध होती है।

सार्वभौमिक या विश्वव्यापी मानवाधिकार

अधिकार, मानव के सामाजिक जीवन की ऐसी आवश्यकताएं है जिनके अभाव मे मानव न तो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और न समाज के लिए उपयोगी कार्य ही कर सकता है। बिना अधिकारो के मानव का जीवन पशुतुल्य है।

1941 ई० में अमेरिकी कांग्रेस मे अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने मानव को चार स्वतन्त्र अधिकारो को प्रदान करने का समर्थन किया —

* भाषण तथा विचार अभि०व्यक्ति का अधिकार
* धर्म तथा विश्वास का अधिकार
* अभाव से स्वतन्त्रता का अधिकार
* भय से स्वतन्त्रता का अधिकार

मानवाधिकार का तात्पर्य

(1) चार्टर की प्रस्तावना मे 'मानव के मौलिक अधिकारो, मानव के व्यक्तित्व के गौरवपूर्ण महत्व मे पुरूष तथा महिलाओं के लिए समान अधिकारों की बात व्यक्त की गई है।

(2) अनुच्छेद 1 मे उल्लेख है, "मानवाधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा लिंग, जाति, भाषा तथा धर्म के भेदभाव के बिना मूलभूत अधिकारो को बढ़ावा देना तथा प्रोत्साहित करना।"

(3) अनुच्छेद 13 मे मौलिक स्वतन्त्रताओं को प्रदान करने की बात कही गई है।

मानवाधिकारो की सार्वभौमिक घोषणा

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर मे मानवाधिकारों की बात स्वीकार करने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के 'मानवाधिकार आयोग' (U.N. Commission of human Rights) को मानवाधिकारो के मूलभूत सिद्धान्तों का मसविदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। मसविदा तीन वर्षो मे तैयार हुआ। इस मसविदे को महासभा ने कुछ संशोधनो के साथ 10 दिसम्बर, 1948 ई० को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया।

संयुक्त राष्ट्र के 30 अनुच्छेदों मे मानवाधिकार का किसी-न-किसी रूप मे उल्लेख है —

किसी भी व्यक्ति को क्रूर दण्ड नहीं दिया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह संविधान या कानून के प्रति मौलिक अधिकारों को समाप्त करने वाले कार्य नहीं करेगा।

प्रत्येक व्यक्ति को शान्तिपूर्ण ढंग से सभा करने की स्वतन्त्रता है। प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। शिक्षा कम-से-कम प्रारम्भिक अवस्था में नि:शुल्क होगी।

Unit-IV

सूचना का अधिकार

भारत मे प्रथम सूचना का अधिकार आन्दोलन न्यूनतम मजदूरी की माँग से श्रीमति अरूणाराय के नेतृत्व वाली संस्था मजदूर किसान शक्ति संगठन से शुरू हुआ। यह संगठन कामगारो, भूमिहीन, ग्रामीणो को सशक्त बनाने के लिए 1990 के शुरू मे सूचना के अधिकार की माँग करने लगा। सूचना का अधिकार अधिनियम 2004, 23 दिसम्बर 2004 को लोकसभा मे प्रस्तुत किया गया। 15 जून 2005 को राष्ट्रपति ए० पी० जे० अब्दुल कलाम ने राष्ट्रीय सूचना अधिकार अधिनियम 2005 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत के नागरिको को सरकार से कोई भी सूचना माँगने, किसी भी सरकारी प्रलेख को केवल सरकार नीति के अन्तर्गत प्राप्त करने का अधिकार देता है। यह सरकार की जवाबदेही तथा पारदर्शिता बढाता है।

अधिनियम के उद्देश्य -

(1) सरकारी अधिकारियो के नियन्त्रण के अन्तर्गत नागरिको की सूचना तक पहुँच के लिए व्यावहारिक शासन की स्थापना करना।

(2) RTI के प्रभावी कार्यान्वयन से जनता सरकारी कामकाज के तरीके मे विश्वास बनाए रखेगी।

(3) ऐसी पारदर्शी सरकार सुनिश्चित करना जो लोगो के प्रति उत्तरदायी है।

(4) नागरिको को सशक्त बनाने के लिए क्योकि नागरिको की सरकारी निर्णयो मे भागीदारी को बढावा देगा जो प्रत्यक्ष रूप से उनके जीवन को प्रभावित करते है।

सूचना प्राप्त करने की विधि- आवेदक निर्धारित फीस के साथ अंग्रेजी या हिन्दी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा मे लोक सूचना अधिकारी को आवेदन कर सकता है। नागरिक व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा या इलेक्ट्रानिक माध्यम से माँगी गई सूचना के ब्यौरे सहित आवेदन-पत्र दे सकते है।

सूचना प्राप्त करने की अवधि- सूचना 30 दिन के भीतर आवेदक को पहुँच जानी चाहिए। यदि सूचना व्यक्ति के जीवन या स्वतन्त्रता से सम्बन्धित है। प्रत्येक जिम्मेदार लोक सूचना अधिकारी पर ₹ 250 प्रतिदिन या अधिकतम 25000 का जुर्माना लगेगा। यदि वह समय से सूचना उपलब्ध नहीं कराता है।

लोकपाल

लोकायुक्त की उत्पत्ति का स्त्रोत स्कान्डिनेवियन देशो के लोकपाल से मिलता है। लोकपाल वह व्यक्ति है जिसकी नियुक्ति कुशासन से उनको नागरिको की समस्या के समाधान के लिए की जाती है। स्वीडन विश्व का पहला देश है जिसने 1809 मे लोकपाल का गठन किया। प्रशासनिक प्रणाली को भ्रष्टाचार और दुर्भावनाओ से मुक्त करने की भारत सरकार की पहल के परिणामस्वरूप दो भ्रष्टाचार पहरी अर्थात लोकपाल और लोकायुक्त का सृजन हुआ।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 को सामान्यत: लोकपाल अधिनियम के रूप मे सन्दर्भित किया जाता है। जो संघ के लिए लोकपाल की स्थापना और राज्य के लिए लोकायुक्त का प्रावधान करता है। यह अधिनियम पूरे भारत और बाहर कार्यरत 'लोक सेवको' पर भी लागू होता है। लोकतंत्र मे लोकायुक्त, आयकर विभाग तथा एन्टी-करप्शन ब्यूरो के साथ मिलकर कार्य करेगे और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए भ्रष्टाचार के मामलो को उजागर करने मे लोगो की सहायता करेगे।

लोकयुक्त की शक्तियाँ-

1. खोज और गिरफ्तारी की शक्ति
2. प्रारम्भिक जाँच की शक्ति
3. कुछ मामलो मे सिविल कोर्ट की शक्ति।
4. सम्पत्ति कुर्की की पुष्टि के बारे मे शक्ति
5. भ्रष्टाचार के आरोप से जुड़े लोक सेवक के स्थानान्तरण या निलम्बन की सिफारिश करने की शक्ति।
6. विशेष परिस्थितियो मे, भ्रष्टाचार के माध्यम से उत्पन्न या प्राप्त की गई शक्ति, आय, प्राप्तियो और लाभो को जब्त करने से सम्बन्धित शक्तियाँ।
7. लोकायुक्त किसी भी नागरिक से प्रशासन के विरुद्ध शिकायत स्वीकार कर सकता है।